

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर /2020


कमांक F 8-6/2020/1564 /2020/नियम/चार : वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 8-1/2019/नियम/चार दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के द्वारा कर्मचारी आयोग का गठन किया गया था। अधिसूचना अनुसार आयोग का कार्यकाल 01 वर्ष निश्चित है।

राज्य शासन एतद् द्वारा, कर्मचारी आयोग के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि अर्थात् दिनांक 11 दिसम्बर 2021 तक, की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कर्मचारी आयोग के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 11 दिसम्बर 2020 तक रहेगा। आयोग के पुर्नगठन एवं अध्यक्ष तथा सदस्यों के नवीन मनोनयन की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

म.प्र.के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(अखिल कुमार वर्मा)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग

F 8-6/2020
पृष्ठा.कमांक _ 1564/2020/नियम/चार भोपाल, दिनांक 17/दिसम्बर /2020

प्रतिलिपि:

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
4. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय भोपाल
6. सचिव, कर्मचारी आयोग, 31 गोमन्तिका परिसर जवाहर चौक भोपाल
7. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो

8. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।


17/12/2020

(विवेक कुमार धारू)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, वित्त विभाग